संं0-17/2018/795/29-3-2017-ब 707/17

प्रेषक

एoपीo त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1- आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ।

2- अनु सचिव एवं
आहरण एवं वितरण अधिकारी
खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा,
उ0प्र0 शासन।

3- विशेष सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी,
इरला चेक अनुभाग
उ0प्र0 शासन।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल,2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 2408-खाद्य-भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के अधीन धनराशि का आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के पत्र सं0- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 तथा पार्श्वांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र सं0-ले0शा0/1323/173/2408/बजट अनु0/2017 दिनांक 01-11-2017 तथा पत्र सं0-ले0शा0/01/187/2018-19/बजट दिनांक 02-4-2018

2- विशेष सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-7202/बीस- इरला-2017 दिनांक 30-10-2017

3- अनु सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-482/29-1-17(लेखा)/2017 दिनांक 31-10-17

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 के विपणन व आपूर्ति शाखा के अधिष्ठान कोलकाता स्थित स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय उ0प्र0 शासन संचरण निदेशालय उ0प्र0 तथा खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के समस्त स्टाफ एवं शासन स्तर पर खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा में कार्यरत श्रेणी क के अधिकारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल धनराशि रू0 2,48,78,80,000(रूपये दो अरब अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि मतदेय मद तथा रू0 3,50,000.00(रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की धनराशि भारित मद में अधोलिखित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-21

लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01-खाद्य-

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) **(धनराशि लाख रूपये में)**

मद संख्या व मानक मद का नाम	खाद्य आयुक्त मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु आवंटित धनराशि	शासन स्तर पर खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन में कार्यरत स्टाफ हेतु आवंटित धनराशि	खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन में कार्यरत श्रेणी **क** के अधिकारियों के अधिष्ठान के व्यय हेतु इरलाचेक को आवंटित धनराशि	**योग**
1	2	3	4	5
1-वेतन	19945.67	800.00	250.00	20995.67
02-मजदूरी	4.00	-	-	4.00
03-मंहगाई भत्ता	1983.57	100.00	16.00	2099.57
04-यात्रा व्यय	17.00	3.00	10.00	30.00
5-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.60	0.40	2.00	5.00
06-अन्य भत्ते	795.26	100.00	16.00	911.26
07-मानदेय	0.01	-	-	0.01
08-कार्यालय व्यय	39.03	6.00	-	45.03
09-विद्युत देय	195.06	-	-	195.06
10-जलकर/जल प्रभार	58.08	-	-	58.08
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	3.00	-	5.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	-	-	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	19.20	0.80	-	20.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	-	-	-	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	170.00	-	-	170.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	14.58	0.70	-	15.28
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	90.00	-	-	90.00
18-प्रकाशन	1.60	0.40	-	2.00
19-विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय	5.00	-	-	5.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.50	-	-	.50
23-गुप्त सेवा व्यय	0.10	-	-	0.10
26-मशीने और सज्जा उपकरण और संयंत्र	12.00	-	-	12.00
29-अनुरक्षण	0.01	-	-	0.01
42-अन्य व्यय- मतदेय भारित	9.95 3.50	0.20	-	10.15 3.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	9.50	0.70	-	10.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.20	0.80	3.00	6.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	69.00	3.00	-	72.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	28.00	4.00	-	32.00
49-चिकित्सा व्यय	48.18	18.00	6.00	72.18
51-वर्दी व्यय	2.70	-	-	2.70
योग मतदेय भारित	**23534.80 3.50**	**1041.00**	**303.00**	**24878.80 3.50**
(रू0 दो अरब पैंतीस करोड़ चौतीस लाख अस्सी हजार मात्र) मतदेय तथा (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) भारित		(रू0 दस करोड़ इकतालीस लाख मात्र)	(रू0 तीन करोड़ तीन लाख मात्र)	(रू0 दो अरब अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) मतदेय तथा (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) भारित

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दे तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/मदों मे उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय कराने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि का आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रति माह पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/ आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा ताकि राज्य स्तर पर कैश फेलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

7- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिए विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के उपयोग के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।

11- किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के संबंध में शासनादेश सं0-बी-2826/दस-1994-100(93)/88 दिनांक 06-6-1994 तथा तत्संबंधी शासनादेश द्वारा लगाये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

13- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जायए उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या-आयोजनागत/आयोजनेत्तर/ मतदेय/भारित का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

14- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रति माह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

15- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

16- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।

5- स्थानिक प्रतिनिधि स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12 ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।

6- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।

7- उप सचिव/ आहरण एवं वितरण अधिकारी खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कालम-3 में उल्लिखित धनराशि तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

8- विशेष सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मितव्ययिता संबंधी मदों में कालम-4 में अंकित धनराशि तक ही व्यय सीमित रखने का कष्ट करें।

9- अनुभाग अधिकारी लेखा अनुभाग खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन।

10- कोषाधिकारी काषोगार जवाहर भवन लखनऊ।

11- अनुभाग अधिकारी खाद्य तथा रसद अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।

12- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।